सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 28.11.2025

जनपद आजमगढ़

01.थाना–कप्तानगंज: किशोरी के अपहरण व यौन उत्पीड़न के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व घटना / इतिहास –

दिनांक 20.11.2025 को वादिनी मुकदमा, थाना कप्तानगंज, जनपद आज़मगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 17.11.2025 की रात में अभियुक्त*राम आशीष राम पुत्र जयप्रकाश राम, निवासी गोनापुर, थाना महराजगंज, जनपद आज़मगढ़*द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। अभियुक्त राम आशीष राम उक्त परिवार का दामाद भी है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 382/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर धारा 64D बीएनएस एवं 5J/5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरण –

आज दिनांक 27.11.2025 को उपनिरीक्षक श्री विवेक कुमार मय हमराह का0 राकेश कुमार एवं का0 अवधेश कुमार द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित*वांछित अभियुक्त राम आशीष पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम गोनापुर, थाना महराजगंज, जनपद आज़मगढ़*को गोपालापुर पुलिया के पास से समय करीब 10:40 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

*राम आशीष पुत्र जयप्रकाश, निवासी ग्राम गोनापुर, थाना महराजगंज, जनपद आज़मगढ़, उम्र लगभग **29** वर्ष।*

आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 382/2025 धारा 137(2), 87, 64D बीएनएस एवं 5J/5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना कप्तानगंज, जनपद आज़मगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्री विवेक कुमार – थाना कप्तानगंज, जनपद आज़मगढ़
2. का0 राकेश कुमार – थाना कप्तानगंज, जनपद आज़मगढ़
3. का0 अवधेश कुमार – थाना कप्तानगंज, जनपद आज़मगढ़

02. थाना–बिलरियागंज: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त घटना विवरण –

आज दिनांक 27.11.2025 को थाना बिलरियागंज क्षेत्रान्तर्गत एक महिला द्वारा प्रार्थना–पत्र देते हुए बताया गया कि वह वर्तमान में जामियातुल फलाह स्कूल के पीछे, बिलरियागंज, जनपद आज़मगढ़ के पास निवास करती है। अभियुक्त*मोहम्मद हासिम पुत्र जुबेर अहमद निवासी ग्राम अमिलो, थाना मुबारकपुर, जनपद आज़मगढ़*द्वारा विवाह का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाए गए तथा बाद में शादी से इंकार कर दिया गया।

प्राप्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 380/2025 धारा 69/352 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक- 27.11.2025 को उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की

तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त*मोहम्मद हासिम पुत्र जुबेर अहमद निवासी ग्राम अमिलो, थाना मुबारकपुर, जनपद आज़मगढ़*श्रीनगर–सियरहा सर्विस लेन पुलिया के पास मौजूद है। सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुँची तथा अभियुक्त को घेराबंदी कर समय करीब 11:55 बजे नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

*मोहम्मद हासिम पुत्र जुबेर अहमद, निवासी ग्राम अमिलो, थाना मुबारकपुर, जनपद आज़मगढ़, उम्र लगभग **27** वर्ष।*

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 380/2025 धारा 69/352 बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आज़मगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. सुनील कुमार दुबे, थानाध्यक्ष बिलरियागंज, जनपद आज़मगढ़
2. उ0नि0 सुधीर पाण्डेय, थाना बिलरियागंज, जनपद आज़मगढ़
3. का0 अखिलेश प्रताप सिंह, थाना बिलरियागंज, जनपद आज़मगढ़
4. म0का0 प्रेमलता पाण्डेय, थाना बिलरियागंज, जनपद आज़मगढ़

03.थाना–जहानागंजः आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व घटना / विवरण –

दिनांक 26.11.2025 को थाना जहानागंज पर एक महिला द्वारा प्रार्थना–पत्र देते हुए अवगत कराया गया कि उनकी पुत्रीआरती रायको ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण उसने विषाक्त पदार्थ सेवन कर आत्महत्या कर ली।

प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 364/2025 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उपनिरीक्षक श्री अभिषेक सिंह द्वारा की जा रही थी। इस प्रकरण में नामजद अभियुक्तगण ग्राम गोधौरा, थाना जहानागंज, जनपद आज़मगढ़ के निवासी हैं।

घटना व गिरफ्तारी का विवरण –

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे वांछित एवं वारंटियों के विरुद्ध विशेष गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन सिंह के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी जहानागंज श्री अतुल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में आज दिनांक 27.11.2025 को पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तअंगद रायप्राथमिक पाठशाला, रामपुर से बजहा मार्ग के पास मौजूद है।

सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा समय करीब**11:15 बजे**अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक पुलिस कार्यवाही उपरांत अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक एवं समय –

प्राथमिक पाठशाला, रामपुर से बजहा मार्ग के पास, दिनांक 27.11.2025, समय 11:15 बजे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

अंगद राय पुत्र विरेन्द्र राय, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम गोधौरा, थाना जहानागंज, जनपद आज़मगढ़।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 364/2025 धारा 108 बीएनएस, थाना जहानागंज, जनपद आज़मगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

• उ0नि0 अभिषेक सिंह – थाना जहानागंज, जनपद आज़मगढ़

• हे0का0 प्रमोद कुमार यादव – थाना जहानागंज, जनपद आज़मगढ़
• का0 दुर्गादीन सरोज – थाना जहानागंज, जनपद आज़मगढ़

04.थाना–दीदारगंजः दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व घटना / विवरण –

दिनांक 19.11.2025 को आवेदक श्री मंगला प्रसाद सिंह पुत्र स्व. पारसनाथ सिंह निवासी ग्राम कोहरौली, पोस्ट पिछौरा, थाना बरदह, जनपद आज़मगढ़ द्वारा थाना दीदारगंज पर प्रार्थना–पत्र देते हुए अवगत कराया गया कि उनकी पुत्रीसावित्री सिंहकी शादी दिनांक 23.11.2016 कोसंतोष सिंह पुत्र सुबाष सिंह उर्फ अपरबल सिंह निवासी ग्राम निकासीपुर, थाना दीदारगंजके साथ हुई थी। शादी के उपरांत ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर निरंतर प्रताड़ित किया जाता रहा। दिनांक 16.11.2025 को भी प्रताड़ना किए जाने पर पीड़िता ने आहत होकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 17.11.2025 को उपचार के दौरान वाराणसी में उसकी मृत्यु हो गई।

घटना के संबंध में मु0अ0सं0 **309/2025**, धारा**85, 108 बीएनएस एवं 3/4 डीपी एक्ट**में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तगण में सेसंतोष सिंहघटना के बाद से फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण –
आज दिनांक 27.11.2025 को उ0नि0 पंकज कुमार सिंह मय हमराह का0 इन्द्रेश दूबे क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तसंतोष सिंहअपने घर निकासीपुर में मौजूद है।
सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची। मुखबिर द्वारा घर के पास खड़े एक व्यक्ति की ओर संकेत किया गया। पुलिस को देखकर व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, किन्तु घेराबंदी कर समय**08:25 बजे**अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत में ले लिया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त
1-संतोष सिंह पुत्र सुबाष सिंह उर्फ अपरबल सिंह, निवासी ग्राम निकासीपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आज़मगढ़।

पंजीकृत अभियोग –
1-मु0अ0सं0 **309/2025**, धारा**85, 108 बीएनएस एवं 3/4 डीपी एक्ट**, थाना दीदारगंज, जनपद आज़मगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 पंकज कुमार सिंह – थाना दीदारगंज, जनपद आज़मगढ़
2. का0 इन्द्रेश – थाना दीदारगंज, जनपद आज़मगढ़

जनपद-मऊ

01. अन्जान व्यक्ति द्वारा खाते से फ्रांड की गयी 85000 /- रु0 कुल धनराशि (पचासी हजार) रुपये थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अन्जान व्यक्ति के द्वारा खाते से फ्रॉड की गयी कुल धनराशि 85000 (पचासी हजार) रुपये, पीडित रामअवध सिंह पुत्र वशिष्ठ सिंह निवासी उमरपुर थाना घोसी जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 85000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामद कर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रकाश सिंह नोड़ल अधिकारी थाना घोसी जनपद मऊ।
2. उ0नि0 दिनेश यादव थाना घोसी जनपद मऊ।
3. हेड़ आ0 अरविन्द यादव थाना घोसी जनपद मऊ।
4. म0का0 काजल सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
5. म0का0 पुष्पलता पाण्डेय थाना घोसी जनपद मऊ।

02. ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अन्जान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गयी कुल 39,236 /- रु0 कुल धनराशि (उन्तालिस हजार दो सौ छत्तीस) रुपये थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अन्जान व्यक्ति के द्वारा फ्रॉड की गयी कुल धनराशि 39,236 (उन्तालिस हजार दो सौ छत्तीस) रुपये, पीडिता सुषमा निवासी हड़हुआ पोस्ट मानिकपुर थाना घोसी जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 39,236 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामद कर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रकाश सिंह नोड़ल अधिकारी थाना घोसी जनपद मऊ।
2. उ0नि0 दिनेश यादव थाना घोसी जनपद मऊ।
3. हेड़ आ0 अरविन्द यादव थाना घोसी जनपद मऊ।
4. म0का0 काजल सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
5. म0का0 पुष्पलता पाण्डेय थाना घोसी जनपद मऊ।

जनपद-बलिया

1. थाना हल्दी जनपद बलिया पुलिस द्वारा हत्या करके शव को छुपाने से संबंधित 03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

थाना हल्दी पुलिस टीम को हत्या करके शव को छुपाने वाले वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में मिली बड़ी सफलता।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी चन्दन कुमार सिंह पुत्र स्व0 शिव कुमार सिंह नि0 ग्रा0 परसिया थाना हल्दी जि0 बलिया (उ0प्र0) द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे मझले भाई अजित कुमार सिंह उर्फ बोधा जो कि टेन्ट का व्यवसाय करते थे दिनांक 22.11.2025 को ग्राम मझौवा थाना हल्दी जि0 बलिया में अनीश कुमार सिंह पुत्र स्व0 अरविन्द कुमार सिंह के बहन की शादी में टेन्ट लगाये थे और रात्रि मे वहीं पर रुके थे और रात्रि में लगभग रात्रि 01.00 AM पर कुर्सी और सोफे पर लगाये गये कवर (खोल) के रंग को बदलने के विवाद के कारण 1. पियूष कुमार सिंह पुत्र सूर्य नारायण सिंह 2. अनीष कुमार सिंह पुत्र स्व0 अरविन्द कुमार सिंह एवं 3.अंकुर सिंह पुत्र स्व0 अरविन्द कुमार सिंह नि0गण ग्राम मझौवा थाना हल्दी जि0 बलिया ने मिलकर मेरे भाई अजीत कुमार सिंह उर्फ बोधा को मारकर हत्या कर दिये एवं गंगापुर घाट के पास गंगा नदी में मेरे भाई अजीत कुमार सिंह उर्फ बोधा सिंह को उसी की मोटरसाइकिल हीरो पैशन में बाँधकर फेंक दिये। इस संबंध में थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है इसी क्रम में आज दिनांक 27.11.2025 को थाना हल्दी पुलिस टीम के प्र0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह मय हमराहियान थाना हाजा से प्रस्थान कर मु0अ0सं0 193/2025 धारा 103(1), 238क बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी / पतारसी सुरागरसी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण हल्दी सोनवानी मार्ग जाने वाले रास्ते शान्ति नगर तिराहे से लगभग 100 मी0 दूरी ग्राम वसुधरपाह जाने वाले रास्ते पर खड़े हैं कहीं जाने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर करके हमराही कर्म0गणो को मकसद से अवगत कराते हुए मय मुखबिर खास के मौके पर पहुँचे तो मुखबीर खास दूर से दिखाकर हटबढ़ गया। हम पुलिस वाले एक बारगी दबिस देकर हिकमत अमली से घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियो से उनका नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम 1.पीयूष कुमार सिंह उर्फ मनोज पुत्र सूर्य नारायण सिंह निवासी मझौवा थाना हल्दी जनपद बलिया तथा दूसरे ने अपना नाम 2.अनीष कुमार सिंह उर्फ गोलू पुत्र स्व0 अरविन्द कुमार सिंह निवासी मझौवा थाना हल्दी जनपद बलिया व तीसरे ने अपना नाम पता 3. अंकुर सिंह पुत्र स्व0 अरविन्द कुमार सिंह निवासी मझौवा थाना हल्दी जनपद बलिया बताया। नाम पता तस्दीक होने पर कि उपरोक्त व्यक्ति मु0अ0सं0 193/2025 धारा 103(1), 238क से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण है कि कारण गिरफ्तारी बताकर समय 10.15 बजे शान्ति नगर तिराहे से लगभग 100 मी0 दूरी ग्राम वसुधरपाह जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का पालन किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

सम्बन्धित अभियोगः-

1.मु0अ0सं0- 193/2025 धारा- 103(1), 238क बी.एन.एस. थाना हल्दी जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. पीयूष कुमार सिंह उर्फ मनोज पुत्र सूर्य नारायण सिंह निवासी मझौवा थाना हल्दी जनपद बलिया उम्र करीब 43 वर्ष
2. अनीष कुमार सिंह उर्फ गोलू पुत्र स्व0 अरविन्द कुमार सिंह निवासी मझौवा थाना हल्दी जनपद बलिया उम्र करीब 24 वर्ष
3. अंकुर सिंह पुत्र स्व0 अरविन्द कुमार सिंह निवासी मझौवा थाना हल्दी जनपद बलिया उम्र करीब 22 वर्ष

2. थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया पुलिस द्वारा गुम हुए 02 अदद मोबाइल फोन को किया गया बरामद। बरामद मोबाइल फोन को सम्बन्धित मोबाइल स्वामी को किया गया सुपुर्द।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर CEIR पोर्टल के माध्यम से दर्ज मोबाइल गुमशुदगी की बरामदी हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया श्री दिनेश कुमार शुक्ल के निकट पर्यवेक्षण, श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बांसडीह श्री जयशंकर मिश्रा व थानाध्यक्ष वंश बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बांसडीह रोड पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि आवेदक का मोबाईल कही जाते समय गुम हो गया था जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने मोबाइल की गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी, जिसके उपरान्त थाना बांसडीह रोड पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल पर रजिस्टर एवं सर्विलांस सेल बलिया व थाना साइबर हेल्प डेस्क की सहायता से खोज किया जा रहा था। जिसके क्रम में आज दिनांक 27.11.2025 को थाना बांसडीह रोड के पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल पर रन कराये गये गुमशुदा मोबाइल को थाना क्षेत्र से बरामद कर मोबाइल स्वामी को नियमानुसार पुलिस टीम द्वारा सुपुर्द किया गया।

मोबाइल स्वामी ने बांसडीह रोड पुलिस टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए दिया धन्यवाद।

बरामद मोबाइल का विवरण

1. 01 अदद मोबाईल TECNO SPARK
2. 01 अदद मोबाईल Realme NARZO

3.थाना सहतवार जनपद बलिया पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (उत्तरी) श्री दिनेश कुमार शुक्ला के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बांसडीह श्री जयशंकर मिश्र व थानाध्यक्ष सहतवार श्री अनिल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सहतवार पुलिस को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उसकी पुत्री को प्रतिवादी द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 27.05.2025 को उ0नि0 सुधाकर मय हमराह का0 विनोद यादव के साथ देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 198/2025 धारा 87, 137(2) से सम्बन्धित अभियुक्त हरिओम गिरी पुत्र हरेन्द्र गिरी निवासी गोसाखाप थाना अमनौर जनपद सारण (छपरा) बिहार उम्र करीब 23 वर्ष को सहतवार रेलवे क्रांसिग के पास से गिरफ्तार किया गया। पीड़िता/अपहृता को पूर्व में सकुशल बरामद कर उसके परिजन को सुपुर्द कर दिया गया। पीड़िता/अपहृता के बयान से धारा 64(2)(m) BNS व 5L/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। उपरोक्त गिरफ्तारी अभियुक्त के विरुद्ध आश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

सम्बन्धित अभियोग

1. मु0अ0सं0 198/2025 धारा 87,137(2), 64(2)(m) BNS व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना सहतवार जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. हरिओम गिरी पुत्र हरेन्द्र गिरी निवासी गोसाखाप थाना अमनौर जनपद सारण (छपरा) बिहार उम्र करीब 23 वर्ष।